(31)

11. <u>संस्था का कोष/लेखा व्यवस्था</u> -
संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम खोलकर रखा जायेगा। जिससे धन का आहरण संस्था के मंत्री एवं अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा।

12. <u>संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया</u> -
संस्था की साधारण सभा की बैठक 2/3 के बहुमत से आवश्यकता पड़ने पर नियमों में परिवर्तन, संशोधन संबंधी प्रस्ताव पारित कर लिया जायेगा।

13. <u>संस्था के आय-व्यय को लेखा परीक्षण (ऑडिट)</u> -
संस्था की आय-व्यय के ब्यौरे को किसी योग्य ऑडिटर द्वारा प्रति वर्ष चैक कराया जायेगा और ऑडिअ रिपोर्ट का अनुपालन मंत्री कार्यकारिणी कमेटी में करायेंगे।

14. <u>संस्था के अभिलेख</u> -
सदस्यता रजिस्टर, कैश बुक, लेजर, रसीद बुक कार्यवाही पंजिका तथा स्यक बुक आदि रहेंगे।

15. <u>संस्था की कानूनी कार्यवाही</u> -
संस्था द्वारा अथवा उनके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के मंत्री पर होग।

16. <u>संस्था का विघटन</u> -
संस्था के सभी सदस्यों के 2/3 के बहुमत पर रजिस्ट्रार, सोसाइटी उ0प्र0 की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ
27-7-08